

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी / वादी

अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

बामराम

बनाम

बालुराम वगैरह

केसम प्रकरण : राजस्व वाद पत्र

मुकदमा नं. 42 / 2022

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
8.04.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गैर हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 17.02.2023 से न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये थे परन्तु वकील प्रार्थी ने साबिका आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। ना ही आज वकील प्रार्थी उपस्थित न्यायालय हुये है।</p> <p>चूंकि प्रकरण हाजा सम्मरी प्रोसेडिंग का है, जिनके निस्तारण के लिए समय सीमा 3 माह की अवधि निर्धारित है। अतः प्रार्थी अधीन धारा 212 एक्ट 1955 बावजूद हिदायत अप्रार्थीगण की तामील किये जाने संबंधी पर भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 एवं बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने पर अदम हाजरी व अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">(दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां</p>	